न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 83/2013 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्री कैलाशचन्द्र पिता मिश्री धोबी निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा (राज0) **—प्रार्थी**	**बनाम**	1. श्री बीरम पिता सुखदेव गुर्जर नि0 देवरिया त0 फूलियाकलां 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा **—अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 2/02/2013 को हुए आवंटन को निरस्ती हेतु।

उपस्थित :–श्री कैलाशचन्द्र काष्ट अधि0 प्रार्थी की ओर से
राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 15.03.2017

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम देवरिया की बिलानाम आराजी नम्बर 1886/2349 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि दिनांक 02/02/2013 को अवैध एवं विधि विरूद्ध आवंटन होने से आवंटन निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01सद्भावी काश्तकार नहीं होने से आवंटन हेतु कोई पात्रता नहीं रखता है। आवंटन दिनांक से आज दिनांक तक उक्त आवंटित रकबे पर अप्रार्थी संख्या 01 का आधिपत्य नहीं रहा न कभी काश्त ही की है। उक्त वादग्रस्त भूमि जो विपक्षी संख्या 01 को आवंटित की गई है, वह ऑक्यूपाईड नहीं थी। आवंटनशुदा भूमि पर उक्त आवंटन से पूर्व ही प्रार्थी एवं उसके पिता का काफी वर्ष पहले से आज दिनांक तक मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता के नाम की अन्य कृषि भूमि 1886, 1886/2410 एवं उक्त आवंटित भूमि को एक चक कर रखा है एवं चारों ओर कांटों की बाड़ कर रखी है। प्रार्थी व उसके पिता ने वर्तमान में भी उक्त आवंटनशुदा भूमि पर ग्वार व काशमी फसल बो रखी है। प्रार्थी व उसके पिता का करीब 40–45 वर्षों से उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने कपटपूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम पर

आवंटन करा लिया। इस प्रकार विपक्षी ने षड़यंत्र एवं कपटपूर्वक तरीके से प्रार्थी एवं उसके पिता के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग की भूमि का आवंटन राज्य सरकार व प्रार्थी तथा उसके पिता को धोखा देकर करवा लिया है जिससे भी उक्त आवंटन नियमों के प्रतिकूल होकर काबिज खारिज के है। प्रार्थी के पिता वृद्ध होकर बीमार है तथा चलने–फिरने की स्थिति में नहीं है, जिससे प्रार्थी ही वर्तमान में उसके पिता के नाम की कृषि भूमि एवं उक्त आवंटित भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आवंटित भूमि दिनांक 02.02.2013 को उद्घोषित की गई और जल्दबाजी में विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना दिनांक 02.02.2013 को ही विपक्षी को अनुग्रहीत करने के दुराशय से आवंटित कर दी। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटन अवैध एवं विधि विरूद्ध किया गया है। विपक्षी संख्या 01 के पास पर्याप्त भूमि है। उसने तथ्यों को छिपाकर मिथ्या व्यपदेशन कर यह आवंटन कराया है जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी में से होकर ही प्रार्थी व उसके पिता की भूमि में आने–जाने का रास्ता है तथा कृषि आराजीयात के आगे कंजर समाज की झोंपड़िया है। उक्त आवंटित भूमि की मेड़ के सहारे–सहारे होकर ही कंजर समाज के लोग आते–जाते हैं। उक्त आराजी के आगे नाडी होकर उसके आगे बहाव क्षेत्र है एवं उक्त आराजी कमाण्ड क्षेत्र में आती है जिससे भी उक्त आराजी का कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई जिससे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 02.02.2013 को ग्राम देवरिया तहसील फूलियाकलां की आ0नं0 1886 / 2349 में रकबा 0.26 हैक्टर भूमि आवंटित किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी के द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2013 को पेश हुआ जिसे दिनांक 28.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 20.06.2014 को बावजूद नोटिस तामील के स्वयं या इसकी ओर से किसी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा की आवंटन पत्रावली दिनांक 31.01.2014 को प्राप्त हुई।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ विपक्षी संख्या 01 के द्वारा आवंटन हेतु कैम्प ग्राम देवरिया में दिनांक 02.02.2013 को प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति, ग्राम देवरिया की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

बिलानाम आ0नं0 1886/2349 रकबा 0.26 हैक्टर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071, आ0नं0124 , 1886 व 1886/2410 श्री मिश्री पिता मूला धोबी, के नाम की नकल जमाबन्दियां सम्वत् 2068 से 2071 पेश की है। उक्त आराजीयात के नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी के द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 को ग्राम देवरिया की कमाण्ड की आ0नं0 1886/2349 में से 0.26 हैक्टर भूमि का आवंटन दिनांक 02.02.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में कैम्प देवरिया पर किया जिसमें नियमों की पालना नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि की उद्घोषणा दिनांक 02.02.2013 की होकर इसी दिनांक को इस भूमि का आवंटन किया जो मात्र औपचारिकताएं पूर्ण की गई है। प्रश्नगत भूमि नदी का ढावा है। आ0नं0 1886 व 1886/2410 हमारी खातेदारी की भूमि होकर इसके पास प्रश्नगत भूमि स्थित होकर पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से हमारे कब्जे काश्त में है। प्रश्नगत भूमि अतिक्रमित थी जिसमें से होकर कंजरों की बस्ती में आने–जाने का रास्ता इसी भूमि में स्थित है। 15 दिन पूर्व उद्घोषाणा जारी नहीं की गई है। आवंटी भूमिहीन नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे। मौके पर कब्जा काश्त भी नहीं है। विपक्षी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा विपक्षी के भूमिहीन होने एवं आवंटित किया गया रकबा अतिक्रमित है या नहीं इसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जांच नहीं करवाई गई । कब्जा आज भी हमारा है। विपक्षी संख्या 01 का वादोक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं होकर विधिवत आवंटन नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा आवंटन निरस्त फरमाया जावे। बहस में वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने बताया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद में नहीं है। 30 दिन की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी होती है। आवंटन दिनांक से कब्जा हमारा है। विपक्षी संख्या 01 भूमिहीन होकर काश्तकार है जिसे विधिवत आवंटन हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे व आवंटन बहाल रखाना फरमावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी के द्वारा ग्राम देवरिया तहसील फूलियाकलां की आ0नं0 1886/2349, 1866 व 1885 के लिए विपक्षी संख्या 01 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु आ0नं0 1866 व 1885 की उद्घोषणा जारी नहीं होने तथा प्रार्थी के पास कुल 0.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

72 हैक्टर भूमि होने से आ0नं0 1886/2349 में 0.26 हैक्टर भूमि का विधिवत आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटन किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के पास 0.72 हैक्टर सिंचित भूमि थी । ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 01 भूमिहीन की तारीफ में आता है जैसाकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के आवंटन नियम 1970 में स्पष्ट अंकित किया है कि जिस व्यक्ति के पास सिंचित एवं असिंचित भूमियों का कुल रकबा 15.00 बीघा से जितना रकबा कम है उस रकबे तक के लिए आवंटन की पात्रता रखता है और इस प्रकरण में विपक्षी के पास मात्र 0.72 हैक्टर भूमि ही थी जो कि भूमिहीन की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उद्घोषणा नियत अवधि में जारी नहीं की जिससे आवंटन निरस्त योग्य है परन्तु इसकी पुष्टि में प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत आराजी की उद्घोषणा की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर स्वयं एवं अपने पिता के समय से कब्जा काश्त होने का कथन किया परन्तु इसके सम्बन्ध में अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट या पी–14 की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। पत्रावली में आ0नं0 1886/2349, 1886 व 1886/2410 का नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें किसी प्रकार से रास्ता अंकित होना नहीं पाया जाता है। विपक्षी संख्या 01 को आवंटित आराजी नम्बर 1886/2349 प्रार्थी की खातेदारी की आ0नं0 1886 के उत्तर में स्थित है। विपक्षी संख्या 01 को कमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 02.02.2013 को हुआ परन्तु उसे निरस्त कराने के लिए प्रार्थी के द्वारा एक माह की अवधि में कोई प्रकरण सक्षम न्यायालय में दायर नहीं करवाया है। यहां तक कि भूमिधारी तहसीलदार के द्वारा भी उक्त आवंटन को गलत नहीं ठहराया है। इससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 को ग्राम देवरिया की आ0नं0 1886/2349 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि का आवंटन विधिवत आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 में किया गया जो विपक्षी के आवंटन के आवेदन पत्र एवं कैम्प ग्राम देवरिया में दिनांक 02.02.2013 को आयोजित शिविर में प्रोसीडिंग रजिस्टर की क्रम संख्या 6 पर श्री बीरम पिता सुखदेव गुर्जर का नाम अंकित होने से आवंटन सही होने की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार विपक्षी संख्या 01 को ग्राम देवरिया की आ0नं0 1886/2349 में 0.26 हैक्टर भूमि दिनांक 02.02.2013 को हुए आवंटन के निरस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रार्थी सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतएव–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 12/02/2013 को हुए आवंटन को निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिसे सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विपक्षी संख्या 01 श्री बीरम पिता सुखदेव गुर्जर निवासी देवरिया को ग्राम देवरिया की कमाण्ड आ0नं0 1886/2349 में रकबा 0.26 हैक्टर भूमि के आवंटन को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/03/17

(एल0आर0गुगरवाल)
अति0जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा